संख्याःपीएलजी(एफ) आरडीपी/5-1/2016-17-विमजस-गाईडलाईन-2016
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

सलाहकार (योजना)
योजना विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2, 1 जुलाई, 2017.

विषयः- **विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के समेकित (Consolidated) दिशा-निर्देश-2017 ।**

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में आधारभूत स्तर पर विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने, लोगों की प्रभावी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने तथा सरकार के प्रयासों / स्त्रोतों को सुदृढ़ करने के लिए विकास में जन सहयोग कार्यक्रम को 1991-92 में शुरू किया गया था। गत् वर्षो में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुए उसके दृष्टिगत, कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं।

2. इस कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों को समेकित (Consolidate) करने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। मूल और संशोधित दिशा निर्देशों-1997 तथा इसके बाद के सभी संशोधनों को समेकित करके Updated दिशा-निर्देशों की प्रति आपको प्रेषित की जा रही है। आशा है कि **"विकास में जन सहयोग"** कार्यक्रम के समेकित दिशा-निर्देश सभी सम्बन्धित पक्षों, विभागों व अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए सहायक होंगें।

भवदीय,

(हंस राज चौहान)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

पृ0संख्याः यथोपरि   दिनांक शिमला-2,   ) जुलाई, 2017.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि.प्र. सरकार, शिमला-2 ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0।
3. प्रधान सलाहकार, माननीय मुख्यमन्त्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2।
4. सचिव, माननीय राज्यपाल, हि0प्र0 शिमला-2 ।
5. निजी सचिव, माननीय   मन्त्री,हि0प्र0 ।
6. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष, हि0प्र0,विधानसभा, शिमला-4 को सूचनार्थ ।
7. निजी सचिव, माननीय मुख्य संसदीय सचिव   हि0प्र0 ।
8. समस्त मण्डलायुक्त, हि0प्र0 ।
9. वित्त विभाग (वित्त विनियम), हि0प्र0 शिमला-2 ।
10. वित्त विभाग (बजट अनुभाग), हि0प्र0 शिमला-2 ।
11. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3 ।
12. वरिष्ठ उप-महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला-3।
13. निजी सचिव, प्रधान सचिव (वित्त एवं योजना)हि0प्र0 सरकार, शिमला-2।
14. समस्त जिला योजना अधिकारी/साख योजना अधिकारी जिला योजना कक्ष (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
15. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोष हि. प्र. शिमला-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
16. कार्यक्रम योजना अधिकारी (PPO), योजना विभाग, हि0प्र0, शिमला को दिशा -निर्देशों का Updated set विभाग की website पर upload करने हेतू ।
17. रक्षक नस्ति ।

(हंस राज चौहान)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश, शिमला-2.

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के समेकित दिशा–निर्देश–2017

1. पृष्ठभूमिः–

विकास में जन–सहयोग कार्यक्रम जो पूर्व कार्यक्रम **"गांव भी अपना काम भी अपना"** का एक सुधरा हुआ रूप है, प्रदेश में जनवरी, 1993 से लागू किया गया। गत वर्षो में कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने हेतु समय–2 पर आंशिक रूप में स्पष्टीकरण / संशोधन जारी किए गये हैं। कार्यक्रम के कार्यान्वयन से जो अनुभव प्राप्त हुए उसके दृष्टिगत, कार्यक्रम को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पूर्व संशोधनों को भी संकलित किया गया है। विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के लिए बजट प्रावधान स्थानीय जिला नियोजन में किए कुल बजट प्रावधान में से उपलब्ध होगा। स्थानीय जिला नियोजन के अन्तर्गत निर्धारित पद्वति जिसके अर्न्तगत जिलों को धनराशि का आबंटन 60 प्रतिशत जनसंख्या और 40 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर 1981 की जनगणना के अनुसार किया जाता है यह पद्वति "विकास में जन सहयोग कार्यक्रम" पर भी लागू है। परन्तु 20 लाख रू0 से अधिक लागत वाले कार्यो के अनुमानों/ प्रस्तावों जिनका अनुमोदन राज्य स्तर पर होता है, उनके लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान मामलेवार किया जा सकता है।

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के समेकित दिशा–निर्देश–2017 निम्न प्रकार से हैः–

2. कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएंः–

2.1 विकास कार्यो में सामुदायिक/ निजी अंशदान की भागेदारी ग्रामीण क्षेत्रों में 25 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत होगी। शहरी क्षेत्रों में केवल सरकारी पाठशालाओं, सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों, सरकारी पशु चिकित्सा संस्थानों, सरकारी पेयजल, सीवरेज़ योजनाओं तथा हैण्ड पम्पों की स्थापना के लिए निजी अंशदान का अनुपात 25 प्रतिशत होगा । लेकिन इस सुविधा का प्रयोग समुदाय के लिए होगा न की किसी परिवार अथवा व्यक्ति विशेष के लिए ।

2.2 जनजातीय क्षेत्रों, पिछड़े विकास खण्डों, पिछड़ी घोषित पंचायतों तथा ऐसे गांव जिन में 50 प्रतिशत से अधिक लोग अनुसूचित

जाति से सम्बन्ध रखते हो, से 15 प्रतिशत अंशदान ही लिया जाएगा। ऐसे सभी जनगणना वाले गांव जिन की जनसंख्या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी श्रेणियों को कुल मिलाकर 1991 की जनगणना के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक हो तो निजी अंशदान की भागीदारी 15 प्रतिशत ही ली जाएगी और सरकारी अंशदान 85 प्रतिशत होगा। ऐसे क्षेत्रों / पंचायतों में निजी अंशदान पूरा करने के लिए अंशदाता चाहे किसी भी समुदाय और स्थान से सम्बन्ध रखते हों, अपनी भागेदारी दे सकते है।

2.3 यदि कोई व्यक्ति विशेष सामुदायिक लाभ के कार्यों में कोई काम करवाना चाहता है तो व्यक्तिगत अंशदान 50 प्रतिशत होगा। प्रत्येक निर्मित कार्य/सम्पति जो लागत भागेदारी आधारित है, में निर्माण लागत के अलावा, कार्य की लागत का 10 प्रतिशत अंशदान अतिरिक्त भाग के रूप में लिया जाएगा ताकि निर्मित परिसम्पत्तियों के रख–रखाव में कोई समस्या न आए। परन्तु एम्बुलैंस सम्बन्धित प्रस्ताव में रख–रखाव एवं अन्य आवर्ति व्यय में सरकारी भागेदारी नहीं होगी।

2.4 निजी/ सामुदायिक अंशदान केवल 'नगद' व अग्रिम के रूप में स्वेच्छा से कार्य विशेष के लिए दी गई अथवा एकत्रित की जाएगी। पूर्व स्थापित निधियों जैसे स्कूल भवन फण्ड, रैडक्रास, मन्दिर में चढ़ावा आदि में जमा राशि को निजी/ सामुदायिक अंशदान के रूप में लिया/ दिया हो, उन निधियों की धनराशि को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत घटक बनाकर उपयोग करना निषेध है।

2.5 उपायुक्त; निजी/ सामुदायिक अंशदान को तभी एकत्रित/प्राप्त करेंगे यदि उनके पास प्राप्त बजट धनराशि उपलब्ध हो।

2.6 गांव अथवा पंचायत स्तर पर सबसे अधिक आवश्यकता Felt Needs and Missing Links पहले ही Identify किए जाएंगे तथा इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निर्धारित प्राथमिकताओं के आधार पर अंशदान लिए जाएंगे तथा कार्यान्वयन किया जाएगा।

2.7 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी किसी भी विकास योजना/ परिसम्पत्ति का निर्माण नहीं किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय/ राज्य सरकार/ अन्य किसी कार्यान्वयन एजैन्सी द्वारा पहले स्वीकृत किया जा चुका हो अथवा किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त हो चुकी हो। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी किसी भी कार्य योजना/ परिसम्पत्ति का भी निर्माण नहीं किया जाएगा जिनके लिए राज्य बजट में प्रावधान किया गया हो और न ही निर्माणाधीन कार्य/ परिसम्पत्ति को पूरा किया जाएगा।

2.8 उपायुक्त पूंजीगत कार्यों के निर्माण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति देने में सक्षम होंगे परन्तु 20 लाख रूपये से अधिक की लागत वाले मामलों की प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति सरकार की वित्तीय स्वीकृति के बाद ही दी जाएगी।

2.9 निर्धारित प्राथमिकताएं निम्न होंगीः–

(क) स्कूलों के भवन।
(ख) बहुउद्देशीय सामुदायिक परिसम्पत्तियां।
(ग) मोटर योग्य सड़कें तथा रज्जू मार्ग।
(घ) सिंचाई स्कीमें / पेयजल स्कीमें / हैण्डपम्प।
(ड.) प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के भवन।
(च) महत्वपूर्ण मिसिंग लिंकस जैसे कि तीन फेज बिजली की लाईनें, ट्रांसफार्मर, एक्सरे प्लाटंस और एम्बुलैंस इत्यादि।
(छ) लावारिस जानवरों के लिए गौ–सदन की स्थापना।[1]

विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ विशेष प्रकार के कार्य बिल्कुल ही निरूत्साहित किए जाएं जैसे ग्रामीण गलियां/ पनिहार इत्यादि। ग्रामीण रास्ते केवल पक्के तथा कम से कम दो पहिया वाहनों योग्य ही सोचे जाएं। इसमें नालियों का निर्माण Integral part बनाया जाए।

2.10 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धार्मिक अनुष्ठानों से प्राप्त लोकहित के कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । धार्मिक

---
[1] No.PLG(F)RDP/5-8/05-VMJS-Shimla Dated 20th December, 2005.

संस्थाओं को केवल सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए ही सहायता दी जा सकेगी। इसके अलावा यदि कही अपवाद आवश्यक हो तो वह केवल पर्यटन के महत्व तथा सांस्कृतिक धरोहरों के अनुरक्षण के लिए किया जाएगा तथा इसमें सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।[2]

2.11 ऐसे निजी/स्वयंसेवी संस्थाएं जिन्हें पहले ही सरकार से कोई सहायता प्राप्त हो चुकी है, इस कार्यक्रम में सहायता के पात्र नहीं होगी।

2.12 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों को सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।[3]

2.13 निर्माण की प्रक्रिया में अंशदान देने वाले लोगों की स्थानीय समितियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का निर्माण सरकारी ऐजैन्सियों के स्थान पर निजी संस्थाओं/समितियों (PTA) द्वारा निर्मित किया जाना है तो ऐसी संस्थाएं/समितियां पंजीकृत होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी आवास समितियां पात्र नहीं होंगी ।

2.14 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 5 लाख रूपये से अधिक अनुमानित लागत के कार्य समितियों/ स्थानीय कमेटियों के बजाय सरकारी विभागों द्वारा ही क्रियान्वित करवाये जाएंगे।

2.15 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय समितियां (Local Committee) 5.00 रूपये लाख से अधिक लागत के कार्य स्वीकृत नहीं कर सकती क्योंकि इन कमेटियों को प्राक्कलन के स्टैन्डर्ड तकनीकी डिजाईन के अनुसार कार्यो को कार्यान्वित करने की तकनीकी क्षमता (Technical Competence) नहीं है।[4]

---

[2] पत्र संख्याः PLG (F) (VMJS) 1-7/2003 dated 11th March, 2005 द्वारा संशोधित

[3] पत्र संख्याःPLG (F) VMJS 1-1/2001 dated 27th August, 2003 द्वारा संशोधित

[4] पत्र संख्याःPLG (F) RDP 5-9/08 VMJS-Sirmour dated 19.2.2014 द्वारा संशोधित

2.16 5.00 लाख रू0 से अधिक लागत वाले कार्यों का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास विभाग के सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता की देख–रेख में किया जाना सुनिश्चित होना चाहिए और प्रत्येक कार्य से सम्बन्धित measurement उस क्षेत्र के कनिष्ट अभियन्ता/ तकनीकी सहायक को measurement book में नियमित आधार पर दर्ज करना होगा। Measurement book में दर्ज करके कार्य प्रगति रिपोर्ट के आधार पर कार्यकारी एजैन्सी को राशि तीन किश्तों में क्रमशः 30 प्रतिशत,30 प्रतिशत व 40 प्रतिशत आधार पर जारी की जाए, ताकि कार्य समय पर निर्मित और गुणवत्ता पूर्ण हो।

2.17 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सभी कार्यो के वर्षवार UCs/CCs तथा सभी परिसम्पत्तियों का पूर्ण ब्यौरा जिला मुख्यालय में उपलब्ध होना चाहिए तथा निर्मित परिसम्पत्तियों का निरीक्षण कभी भी किया जा सकता है । पूर्व सौंपे गये कार्यो के UCs/CCs जिला प्रशासन अथवा उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त हों। पंजीकृत संस्थान/ समिति से सरकारी अधिकारी/ तकनीकी कर्मचारी Coopted होना चाहिए ताकि सरकारी धन एवं निजी धनराशि के सदुपयोग को सुनिश्चित किया जा सके।

2.18 समस्त उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत स्कीमों / परिसम्पत्तियों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह की 10 तारीख तक योजना विभाग हिमाचल प्रदेश को प्रेषित की जाए ।

2.19 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगी वाहन का प्रावधान भी किया जा सकता है जिसका समस्त औपचारिकताओं का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का होगा। इस प्रकार के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही प्रेषित किए जाएं ताकि स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में यह बता पाए कि सम्बन्धित संस्थाओं में पहले से रोगी वाहन अथवा ड्राईवर की उपलब्धि की स्थिति क्या है।[5]

---

[5] पत्र संख्याःपीएलजी (एफ) 1-4/99 –कांगड़ा 13.9.2002 द्वारा संशोधित

2.20 हर निर्मित परिसम्पति का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत परिसम्पत्ति यदि निजी भूमि पर निर्मित की जानी है तो भूमि स्थल का Title Deeds सरकार / विभाग / पंचायत के नाम प्रस्तावित कार्य की स्वीकृति से पूर्व स्थानान्तरित होना चाहिए। यदि डी.पी.एफ का मामला हो तो वन विभाग से पूर्वानुमति होनी चाहिए। जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पत्तियां निर्मित होनी है उस का स्वामित्व परियोजना कार्यक्रम से पहले राज्य सरकार के नाम पर स्थानान्तरित होना आवश्यक है लेकिन कुछ मामलों में जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पत्तियों का निर्माण/ विकास किया जा रहा है/किया जाना है, वह भूमि/ आबादी देह या आबाद टिका होने के कारण सरकार के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है क्योंकि उसकी मलकीयत समुदाय की होती है। इसी प्रकार पटटे पर दीर्घकाल के लिए ली गई समुदाय/निजी व्यक्ति द्वारा भूमि को भी सरकार के नाम नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि भूमि का स्थानान्तरण सरकार के नाम किया जाना आवश्यक नहीं होगा लेकिन कार्य स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित से यह शपथ पत्र लिया जायेगा कि उन्हें प्रस्तावित भूमि पर परिसम्पत्ति निर्माण पर किसी प्रकार की आपति नहीं है और परिसम्पति हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी।

2.21 सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेहतर संरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न non profit trusts or other institutions in similar nature द्वारा दिए गये अंशदान की धनराशि को विकास में जन–सहयोग कार्यक्रम के अर्न्तगत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के लिए निजी अशंदान धनराशि के रूप में स्वीकार की जा सकती हैं।[6]

---

[6] पत्र संख्याः पी.एल.जी.(एफ) (वि.मे.ज.स.)1–7/2003–शिमला दिनांक 20अप्रैल,2005 द्वारा संशोधित

3. धनराशि का अवमोचनः (Release of funds)

3.1 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्ययोजना में सरकारी अशंदान की विभिन्न स्तरों पर वित्तीय स्वीकृति की सीमाएं (कार्य व रख–रखाव सहित) निम्न होगीः–[7]

क्र0 सं0	प्राधिकृत अधिकारी/ विभाग स्तर/अधिकारी का नाम	लागत के आधार पर परिसम्पति निर्माण की वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमा
1	उपायुक्त	20.00 लाख रूपये
2	सलाहकार (योजना)	40.00 लाख रूपये
3	सचिव (योजना)	75.00 लाख रूपये
4	वित्त विभाग	75.00 लाख रूपये के अधिक की परियोजनाएं

3.2 इस कार्यक्रम के अधीन धनराशि का प्रावधान मांग संख्या–15 मुख्य शीर्ष–5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं पर पूंजीगत परिव्यय 00–800–03-SOON State Scheme LDP/VMJS object code–37 मुख्य निर्माण कार्य (योजना स्कीम) के अधीन किया जाएगा तथा व्यय भी इसी विवरण के अनुसार नियमित किया जाएगा ।

3.3 उपायुक्तों द्वारा इस कार्यक्रम में कार्यान्वित किए जा रहे सभी कार्यो में फुटकर व्यय के लिए कुल राशि का 0.75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है, ताकि कार्यान्वयन एवं Supervision अधिक प्रभावी हो सके। इस निर्धारित फुटकर व्यय के अतिरिक्त और धनराशि इस उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं की जाएगी। निर्धारित 0.75 प्रतिशत फुटकर प्रावधान को स्टेशनरी,पी.ओ.एल. और प्राक्कलन बनाने की लागत इत्यादि पर व्यय किया जा सकता है। लेकिन इस फुटकर प्रावधान में से वाहन का क्रय निषेध है।

---

[7] पत्र संख्याःपीएलजी(एफ)/आरडीपी 5–12/05–विमेंजस–लूज दिनांक 25 अक्तूबर, 2016 द्वारा संशोधित

3.4 इस कार्यक्रम के कार्यो के प्रत्येक प्राक्कलनों में फुटकर व्यय 0.75 प्रतिशत कुल निर्माण लागत को शामिल किया जाएगा और प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय स्वीकृति भी इसी आधार पर दी जाएगी।

3.5 इस कार्यक्रम के अर्न्तगत किये जाने वाले विकास कार्यो में लोगों की भागीदारी होती है इसलिए समुदाय को प्रस्तावित कार्यो के तकनीकी अनुमान बनवाने तथा इन कार्यो के कार्यान्वियन करने हेतु संस्था के चयन करने में छूट दी जाती है। इस सन्दर्भ में सम्बन्धित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमान अप्रत्याशित रूप से अधिक लागत के न हों। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यो के तकनीकी अनुमान किसी भी स्तर के सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित होने चाहिएं भले यह अधिकारी ग्रामीण विकास,पंचायती राज, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन –स्वास्थ्य, शहरी विकास, विद्युत बोर्ड अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में कार्यरत हों। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब कार्यो के तकनीकी अनुमान एक बार किसी सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवा लिये जाते हैं तो इन अनुमानों को दोबारा किसी भी सक्षम अभियन्ता द्वारा निरीक्षण/अनुमोदन करवाना आवश्यक नहीं होगा। इन निर्माण कार्यों के स्थल का चयन सम्बन्धित समुदाय करेगा और कार्यक्रम के लिए निर्धारित दिशा–निर्देश/नियमों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित करेगा।

3.6 तकनीकी अनुमानों में किसी भी प्रकार के Contractor Profit, Overhead Charges अथवा भागीदारी का लाभांश शामिल नहीं होगा। सक्षम अभियन्ता इस आशय का एक प्रमाण–पत्र अनुमान में लगाएगें तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तकनीकी अनुमानों में Bare Minimum Cost ही शामिल है।[8]

3.7 निम्नलिखित तकनीकी शक्तियां हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त विभाग, विनियम द्वारा क्रमशः जारी अधिसूचना

---

[8] पत्र संख्याः पी.एल.जी.(एफ) (वि.में.ज.स.)1–7/99 –शिमला दिनांक 3 मार्च,2003 द्वारा संशोधित

संख्याःFin.(C)A(2)-2/89 dated 4th March, 2014 के माध्यम से प्रदत की गई हैं ।

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राधिकृत अधिकारी स्तर	तकनीकी शक्तियां (रू लाख में)
1.	पंचायती राज विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग	1. तकनीकी सहायक 2. कनिष्ठ अभियन्ता 3. सहायक अभियन्ता 4. अधिशाषी अभियन्ता	1.50 5.00 10.00 10.00 लाख रू0 से उपर समस्त शक्तियां।
2.	लोक निर्माण विभाग	1. अधिशाषी अभियन्ता (Non selected) 2. अधिशाषी अभियन्ता(selected) 3. अधीक्षण अभियन्ता /प्रमुख अभियन्ता/ मुख्य अभियन्ता	15.00 45.00 225.00 लाख रू0 से उपर समस्त शक्तियां।

3.8 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत उपायुक्तों को आबंटित की जा रही धनराशि को सामग्री और मजदूरी घटकों में 50:50 के अनुपात में वहन किया जएगा ।

3.9 इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पतियों के प्राक्कलन Public Works विभाग द्वारा समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित मानकों एवं scheduled दरों के आधार पर तैयार किए जाएंगे ।

3.10 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली परिसम्पत्तियों / कार्यों के प्राक्कलनों में विभागीय चार्जिज शामिल नहीं होंगे।

3.11 विकेन्द्रीकृत नियोजन के विभिन्न विकासात्मक स्कीमों/ कार्यों जिसमे विकास में जन सहयोग भी शामिल है, के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के कार्यान्वयन हेतु, एल.ओ.सी. डिपोजिट वर्कस के लिए प्रमुख अभियन्ता को प्रदत्त की गई वित्तीय शक्तियों का प्रयोग सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता द्वारा उनके पास जमा राशि का प्रयोग अपने स्तर पर करेंगे ताकि विकेन्द्रीकृत नियोजन का उद्देश्य पूरा किया जा सके । इससे एक तो धनराशि का अभ्यर्पण नहीं होगा, स्वीकृति प्राप्त करने में भी विलम्ब नहीं होगा और भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति भी शत प्रतिशत होगी ।

3.12 कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित किए जाने वाले स्वीकृत कार्य/परिसम्पत्ति कार्यान्वयन स्वीकृति धनराशि के अन्दर ही होगा/होगी । यदि किसी विशेष परिस्थिति में लागत बढ़े तो अतिरिक्त धनराशि निजी / समुदाय को ही वहन करनी होगी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संशोधत स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं होगा ।

3.13 कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य/परिसम्पत्ति के निर्माण पर कोई आवर्ति व्यय नहीं होगा (सिवाए रख–रखाव के लिए अंशदाताओं पर आधारित अंशदान को छोड़कर) एम्बूलैंस सहित जिसके लिए सरकार की तरफ से कोई भी रख–रखाव अंशदान नहीं होगा तथा सरकार की कोई अन्य जिम्मेवारी नहीं होगी ।

3.14 निर्मित परिसम्पति को सम्बन्धित विभाग/पंचायत /संस्था को सुपुर्द करने की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु निर्माण शुरू करने से पहले सम्बन्धित विभाग/पंचायत/संस्था से अनुबन्ध किया जाना आवश्यक है ताकि निर्माणोपरान्त परिसम्पत्ति का रख–रखाव ठीक रहे ।

3.15 निर्माणाधीन परिसम्पत्ति का निर्माण, यदि विशेष परिस्थिति जैसे प्राकृतिक प्रकोप इत्यादि में पूरा करना असंभव हो तो उसके समेत बचे हुए सामान की कीमत/सूची तैयार करके उपायुक्त मामला सरकार को बट्टे खाते में डालने के लिए भेजेंगे ।

3.16 विकास में जन सहयोग, रख–रखाव में जन सहयोग और क्षेत्रीय विकेन्द्रीकृत कार्यक्रम में यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कोई राशि ब्याज के रूप में अर्जित हो, तो अर्जित ब्याज राशि सरकार की सामान्य पावती खाते में जमा करवाई जाएगी । यह धनराशि विकासात्मक कार्यों के लिए (चालू एवं नई स्कीमों पर) व्यय नहीं की जाएगी।

3.17 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम में रख–रखाव राशि घटक का उपयोग इस कार्यक्रम में रख–रखाव राशि से अर्जित ब्याज धनराशि रख–रखाव निधि का भाग माना जाएगा और यह राशि रख–रखाव कार्यों पर प्रयोग की जाएगी ।

3.18 स्वीकृत कार्य योजना/परिसम्पत्ति का निर्माण स्वीकृति के एक वर्ष के अन्तराल मे पूर्ण करना आवश्यक है ।

3.19 यदि Cost-Sharing basis आधारित स्कीम निजी/सामुदायिक अंशदान जमा धनराशि के 6 महीने बाद अथवा सम्बन्धित बजट वर्ष के मार्च माह तक (जिसमें जो बाद मे आता है) किन्हीं कारणों से स्वीकृत नहीं होती तो निजी /सामुदायिक अंशदान ब्याज सहित अंशदाताओं को वापिस लौटाया जाएगा। इससे आगे निजी/सामुदायिक अंशदान सभी जिलाधीश/प्राधिकृत अधिकारी तभी जमा रखेंगे यदि अंशदाताओं से लिखित रूप में अनुरोध किया हो।

4. परिसम्पत्तियों का रख–रखाव

इस कार्यक्रम के आरम्भ किए जाने से ही विभिन्न परिसम्मपत्तियों के रख–रखाव के लिए कुल परियोजना लागत की 10 प्रतिशत के बरावर रख–रखाव निधि अलग से प्रावधित की गई है। रख–रखाव के लिए बने कोष का संचालन उपायुक्तों के माध्यम से किया जाएगा तथा रख–रखाव विकास खण्ड संस्थाएं आदि करेगी। रख–रखाव राशि के उपयोग के सम्बन्ध में निम्न दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखा जाएगा ।

4.1 इस कार्यक्रम में रख–रखाव राशि से अर्जित ब्याज धनराशि रख–रखाव निधि का भाग माना जाएगा । किसी भी परियोजना

अथवा परिसम्पत्ति के निर्माण समापन से तीन वर्षों तक रख–रखाव निधि में से कोई धनराशि प्रयोग नहीं की जाएगी।

4.2 रख–रखाव के सभी कार्यान्वयन सम्बन्धित कार्य–कलापों को विकास खण्ड संस्था के माध्यम से कार्यान्वित तथा पर्याविक्षित किया जाएगा । इस व्यवस्था में अपवाद केवल ऐसी स्थिति में किया जाएगा जहां परियोजना/परिसम्पत्ति का निर्माण किसी पंजीकृत अथवा वैधानिक संस्था जैसे कि पंचायत, महिला मण्डल, युवक मण्डल इत्यादि के माध्यम से किया गया हो । ऐसे मामलों में रख–रखाव निधि इन संस्थाओं को हस्तांतरित की जा सकती है बशर्ते कि वे परिसम्पति का सामान्य रख–रखाव इस निर्देश तथा मार्ग दर्शक सिद्धांतों के अनुसार करें ।

4.3 जहां परिसम्पत्तियों का उपयोग पूर्णतया सरकारी संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, ऐसे मामलों में रख–रखाव निधि उपायुक्तों के पास ही रहेगी तथा रख–रखाव का कार्य उन्हीं के स्तर पर स्वीकृत किया जाएगा व विकास खण्ड संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित किए जाएंगे । यह भी स्पष्ट किया जाता हे कि विकास में जन सहयोग के अधीन रख–रखाव के कार्यों के लिए किसी प्रकार का विभागीय प्रभार नहीं लिया जाएगा ।

4.4 क्योंकि विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अधीन रख–रखाव निधि जमा होने से कम से कम तीन वर्ष तक अप्रयोग पड़ी रहेगी, उपायुक्त एवं पंजीकृत अथवा वैधानिक संस्थाएं इस राशि का सर्वाधिक संभावित प्रबन्धन कर सकती हैं । जिसके माध्यम से उन्हें ब्याज के रूप में अधिकाधिक आय प्राप्त हो (उदाहरणार्थ लघु बचत योजनाएं) तथा उस पर ब्याज के माध्यम से अर्जित राशि भी इसी रख–रखाव निधि का भाग माना जाएगी ।

4.5 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम में रख–रखाव निधि के अधीन किए गए सभी कार्यों का तकनीकी पुष्टिकरण विकास खण्ड संस्था के माध्यम से किया जाएगा ।

4.6 इस कार्यक्रम के अधीन रख–रखाव निधि के उपयोग के लिए योजना विभाग के माध्यम से सरकार निर्णय ले सकती है ।

5. <u>प्रबोधन व्यवस्था</u> (Monitoring of arrangements)

5.1 इस योजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन कार्यो का प्रभावी सामुहिक अनुश्रवण एवं निरीक्षण (Monitoring and Supervision) निम्न प्रकार से होगाः–

क्र0संख्या	निरीक्षण अधिकारी का स्तर	कुल स्वीकृत कार्यो की प्रतिशतता जिसका निरीक्षण किया जाना है
1.	2.	3.
1.	खण्ड विकास अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता (विकास)/सहायक अभियन्ता (विकास)	100 प्रतिशत
2.	जिला योजना अधिकारी	15 प्रतिशत
3.	अतिरिक्त उपायुक्त/अति0जिला दण्डाधिकारी (मुख्य योजना अधिकारी)	5 प्रतिशत
4.	उपायुक्त	4 प्रतिशत
5.	सलाहकार (योजना)/योजना विभाग के मुख्यालय के अन्य अधिकारी	1 प्रतिशत

5.2 लागत–सहभोगी (Costing Sharing) आधारित परिसम्पत्ति / कार्य–योजना निर्माणोपरान्त उपयोग के लिए अंशधारकों को प्राथमिकता दी जाएगी ।

5.3 विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में यदि किसी मद पर आगामी स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो पत्राचार, सलाहकार (योजना) हि0प्र0, शिमला–171002, से किया जा सकता है ।

5.4 उपायुक्त एवं उनके प्राधिकृत अधिकारीगण / कार्यकारी ऐजैंसीज विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के कार्यान्वयन के दौरान

हि0प्र0 वित्त विभाग द्वारा जारी की गई वित्तीय हिदायतें जोकि समय–2 पर इस विषय में जारी की गई / की जाएंगीं को भी ध्यान में रखेंगे ताकि लेखा आपतियां न उभरे ।

No. PLG (F)RDP/5-8/05- VMJS-Shimla
Government of Himachal Pradesh
Planning Department

From

Principal Advisor (Planning),
Himachal Pradesh, Shimla-2.

To

All the Deputy Commissioners,
Himachal Pradesh.

Dated Shimla-2 the 20th December, 2005.

Subject: Vikas Main Jan Sahyog Revised Guidelines-1997 amendment thereof.

Sir,

In continuation of this office letter No.PLG (F) (VMJS) 1-7/2003-Shimla dated 20.4.2005, I am to inform that Government has decided to include the setting up of Go Sadan built in the V.M.J.S. keeping in view the menace and pitiable conditions of stray animals. The involvement of the Govt. will be restricted to providing of land for setting up of such sheds and providing technical advice to the people/society/NGOs who evince interest in the project.

2. The Go Sadan should be either for a population of upto 50 animals or 100 animals. The units will have to be entirely based on stall-feeding of the animals because it would not be possible to provide for very large area for setting up these to enable open grazing. The units should have a covered shed of 750 sq.feet and 1500 sq. feet respectively for sheltering the animals in severe weather conditions. Each unit should have a "Khurali" for drinking water for the animals and should be of the dimension of 15 ft. length, 2 ft. depth and 1.5 ft. width. There should be one Khurali for animals and two for 100 animals. The Go Sadan should have covered store of about 300 sq. ft. plinth area and an attendant hut cum shed for treatment for animals with a plinth area of about 80 sq. ft. There should be a crate for stalling the animals for treatment as we have one in the veterinary dispensary. The Go Sadan should be fenced with barbed wire with cement concrete burjis to keep the animals within the territory. Each unit proposed to be set up should have a linkage to the nearest veterinary institution for periodic visit by the veterinary care staff.

3. The project proposals should have their own arrangements for the day to day O&M as also the watch and ward staff like an attendant. The cost for such elements shall not be funded within the project. Animals once taken in shall not be let off at any stage.

4. All the proposals for setting up of Go Sadans on the above parameters should cover an area of at least 5 panchayats for a unit of 50 animals and at least 10 panchayats for a unit of 100 animals. All the proposals must also be sent with the due concurrence of the panchayats in which the Go Sadan will be located. Since it is a statutory responsibility of the PRIs to maintain such utilities, the long term O&M responsibility should also be owned by the panchayats.

Yours faithfully,

Principal Advisor (Planning),
Himachal Pradesh, Shimla-2.

Endst. No. as above dated Shimla-2 the 20th December, 2005.

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. All Administratives Secretaries to the Govt., of H.P., Shimla-2.
2. All Heads of Department in H.P.
3. Secretary, Hon'ble Governor, H.P., Shimla-2.
4. Additional Secretary (Fin.- Regulation), to the Govt., of H.P., Shimla-2.
5. Additional Secretary (Fin-Budget), to the Govt., of H.P., Shimla-2.
6. Accountant General, H.P., Shimla-3.
7. Assistant Commissioner, Tribal Development Department, H.P., Shimla-2.
8. All District Planning Officers/ Credit Planning Officers (Except Kinnaur & Lahaul and Spiti).
9. All District Treasury Officers in H.P.
10. Guard File.

Principal Advisor (Planning),
Himachal Pradesh, Shimla-2.

-2.

संo: पी.एल.जी.(एफ) (वि.मे.ज.स.)1-7/2003
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2, 11 मार्च, 2005.

विषय : "विकास में जन-सहयोग" कार्यक्रम के संशोधित दिशा-निर्देश।

महोदय,

मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि धार्मिक संस्थानों से प्राप्त विकास कार्यक्रमों के प्रस्तावों की स्वीकृति का मामला पिछले कुछ समय से सरकार के विचाराधीन था । इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि धार्मिक अनुष्ठानों से प्राप्त लोकहित के कार्यों को भी विकास में जन सहयोग कार्यक्रम में स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी । इस संशोधन को "विकास में जन सहयोग कार्यक्रम" के दिशा-निदेशों -1997 में भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि, दिनांक : शिमला-2, 11 मार्च, 2005.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-
1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0,सरकार शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0
3. सचिव, माननीय राज्यपाल, हि0प्र0शिमला
4. अतिरिक्त सचिव (वित्त विनियम) हि0प्र0 सरकार शिमला-2
5. अतिरिक्त सचिव (वित्त बजट) हि0प्र0 सरकार शिमला-2
6. महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला-3
7. सहायक आयुक्त, जन जातीय विभाग हि0प्र0 शिमला-2
8. समस्त जिला योजना अधिकारी/ साख्र योजना अधिकारी (जिला किन्नौर एवं लाहौल -स्पिति को छोडकर)
9. समस्त जिला कोषाधिकारी हि0प्र0 ।
10. गार्ड नस्ति ।

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

-3-

सं0: पी.एल.जी.(एफ) (वि.मे.ज.स.)1–1/2001
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांक : शिमला–2, 27 अगस्त, 2003,

विषय : "विकास में जन सहयोग" कार्यक्रम के संशोधित दिशा–निर्देश।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्याः पी.एल.जी. (एफ) (वि.में.ज.स.) 1–6/96 दिनांक 17 फरवरी, 1997 पत्र संख्याः पी.एल. जी.(एफ) 3–5/84–। दिनांक 11 जनवरी,1999, पत्र संख्याः पी.एल.जी. (एफ) (वि.मे.ज.स.) 1–1/99 दिनांक 20मई, 1999 तथा पत्र संख्याःपी.एल. जी.(एफ) (वि.में.ज.स.)1–7/99–शिमला दिनांक 3 मार्च, 2003 के निरन्तरीकरण में कार्यकम विकास में जन सहयोग के लिए जारी दिशा निर्देश–1997 के अधीन जो कार्यकम चलाए जा रहे हैं, उन पर समय–समय पर आए सुझाबों तथा बदले हुए परिवेश में व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों को कार्यकम विकास में जन सहयोग के अन्तर्गत भविष्य में सरकारी सहायता प्रदान नहीं की जाएगी ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त संशोधन को विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत तुरन्त लागू करना सुनिश्चित करें ।

कृपया इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

No. PLG(F)/RDP5-9/08-VMJS-Sirmour
Government of Himachal Pradesh
Planning Department

From,

Pr. Secretary (Planning) to the
Government of Himachal Pradesh,
Shimla-171002

To,

All the Deputy Commissioners
District……………………………
Himachal Pradesh

Dated Shimla 171002 19 February, 2014

Subject:- Amendment in VMJS Guidelines for the implementation of works sanctioned under VMJS.

Sir,

As you are aware, the decentralized planning programme **"Vikas Mein Jan Sahyog"** is under implementation in the State since 1991-92. Various suggestions have been received in this Department to make implementation of the programme more effective and transparent. After considering various suggestions, it has been decided that the following process be followed in the implementation/execution of the works sanctioned under VMJS Programme.

(i) All works beyond the estimated cost of Rs. 5.00lakh be got executed through the Government Departments and not by the societies/local committees.

(ii) Local committees should not be assigned the execution of the works sanctioned under VMJS beyond the estimated cost of Rs. 5.00 lakh as these committees do not have the technical competence to

ensure execution of the works as per the standard technical design of the estimate.

(iii) Execution of works up to Rs. 5.00 lakh should be ensured under the supervision of the Assistant Engineer/Junior Engineer of the Rural Development Department and the measurement of the work done of each work be entered in the measurement book of concerned Junior Engineer/ Technical Assistant of the area on regular basis.

(iv) Funds be released to the executing agency in three installments of 30%,30% & 40% respectively, based on progress of work entered in the measurement book.

The above instruction be followed in letter and spirit.

Yours faithfully,
(Sd/-)
Pr. Secretary (Planning) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-2

Endst. no As above Shimla-171002 Dated 19 February, 2014

Copy for information and compliance to:-

1. Director, Rural Development Department, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. All the Block Development Officers in Himachal Pradesh (Block Development Office........................District,..................

Adviser (Planning)
Himachal Pradesh, Shimla-2

5-

संख्याः पी.एल.जी (एफ)1-4/99-कांगड़ा
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव "योजना"
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला-2

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश

दिनांक : शिमला-2, 13 सितम्बर, 2002

विषय : विकास में जनसहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगी वाहन खरीद बारे ।

महोदय,

प्रदेश स्तर पर विभिन्न जिलों से स्वास्थ्य संस्थाओं के लिए रोगी वाहन खरीदने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं । यद्यपि सम्बन्धित संस्थाओं / उपायुक्तों द्वारा हमेशा यह बाध्यता व्यक्त की जाती है कि वाहन के रख-रखाव व चालक का किसी प्रकार के व्यय का दायित्व राजकोष पर नहीं आएगा । इस सम्बन्ध में यह भी ध्यान में आया है कि संस्थाओं द्वारा पहले खरीद की गई वाहनों के संचालन के लिए नियमित चालकों का प्रबन्ध न किए जाने के कारण वाहनों का उपयोग ठीक से नहीं किया जा रहा है तथा, कुछ एक रोगी वाहन संस्थाओं द्वारा खरीद उपरान्त संचालन हेतु रैड क्रास सोसाईटियों को दिए गए हैं तथा ड्राईवर तथा रख-रखाव का अधिकतम खर्चा सोसाईटियों द्वारा वहन किया जा रहा है ।

2. क्योंकि रोगी वाहन के प्राबधान का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का है इसलिए प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि भविष्य मे इस प्रकार के प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही प्रेषित किए जाएं ताकि स्वास्थ्य विभाग भी इस मामले में यह बता पाए कि सम्बन्धित संस्थाओं में पहले से रोगी वाहन अथवा ड्राईवर की उपलब्धि की स्थिति क्या है । अतः आपसे अनुरोध है कि भविष्य में रोगी वाहन खरीद हेतु प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से ही प्रेषित किया करें ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव "योजना"
हिमाचल परदेश सरकार, शिमला-2

पृ सं० यथोपरि दिनांक शिमला-2 13 सितम्बर, 2002
प्रतिलिपि :
1. सचिव स्वास्थ्य, हि०-प० सरकार, शिमला-2
2. निदेशक स्वास्थ्य, हि०-पदेश शिमला-9 को सूचनार्थ ।

प्रधान सलाहकार एवं सचिव "योजना"
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2

6

सं0: पी.एल.जी.(एफ) (वि.मे.ज.स.)1-7/2003-शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला-2, 20 अप्रैल, 2005.

विषय : "विकास में जन-सहयोग" कार्यक्रम के संशोधित दिशा-निर्देश।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 11 मार्च, 2005 के निरन्तरीकरण में, मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि सरकार ने भविष्य में सरकारी शिक्षण संस्थानों को बेहतर संरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विभिन्न non profit trusts or other institutions in similar nature द्वारा दिए गए अंशदान की धनराशि को विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों के लिए निजि अंशदान धनराशि के रूप में मानने का निर्णय लिया गया है । इस संशोधन को **"विकास में जन सहयोग कार्यक्रम"** के **दिशा-निर्देशों** -1997 में तदानुसार सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया है ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि, दिनांक : शिमला-2, 20 अप्रैल, 2005.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हि0प्र0,सरकार शिमला-2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हि0प्र0
3. सचिव, माननीय राज्यपाल, हि0प्र0शिमला
4. अतिरिक्त सचिव (वित्त विनियम) हि0प्र0 सरकार शिमला-2
5. अतिरिक्त सचिव (वित्त बजट) हि0प्र0 सरकार शिमला-2
6. महालेखाकार, हि0प्र0 शिमला-3
7. सहायक आयुक्त, जन जातीय विभाग हि0प्र0 शिमला-2
8. समस्त जिला योजना अधिकारी/ साख योजना अधिकारी (जिला किन्नौर एवं लाहौल -स्पिति को छोडकर)
9. समस्त जिला कोषाधिकारी हि0प्र0 ।
10. गार्ड नस्ति ।

प्रधान सलाहकार एवं सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2.

7.

अति आवश्यक

संख्याःपीएलजी(एफ) आरडीपी/5–12/05–वि.क्षे.वि.नि.यो.–लूज
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक : शिमला–2, 25/18 अक्तूबर, 2016.

विषयः– विकेन्द्रीकृत नियोजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के संशोधित दिशा–निर्देश ।

महोदय/महोदया,

विकेन्द्रीकृत नियोजन के अधीन चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों, विकास में जन सहयोग, विकेन्द्रीकृत नियोजन, विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना तथा पिछड़ा क्षेत्र उप–योजना के अन्तर्गत परिसम्पियों के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमाओं को बढ़ाने का मामला कुछ समय पूर्व से योजना विभाग के विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में निर्माण लागतों में आई वृद्धि एवं समग्र अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखतें हुए निम्न संशोधन कर दिया गया है जिसे तुरन्त लागू समझा जाए :–

स्तर/ अधिकारी का नाम	लागत के आधार पर परिसम्पति निर्माण की वित्तीय स्वीकृति व प्रशासनिक अनुमोदन की वित्तीय सीमा
1. उपायुक्त	20 लाख रूपए
2. सलाहकार (योजना)	40 लाख रूपए
3. प्रधान सचिव/अति0 मुख्य सचिव (योजना)	75 लाख रूपए
4. वित्त विभाग की अनुमति से योजना विभाग द्वारा अनुमोदन	75 लाख रूपए से अधिक की परियोजनाएँ

अन्य समस्त शर्ते इस विभाग द्वारा जारी पत्र संख्याः पी.एल.जी. (एफ) 3–5/84–1 दिनांक 11 जनवरी, 1999 के अनुसार यथावत रहेंगी।

भवदीय,

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–2.

पृ0संख्याः यथोपरि दिनांक शिमला–2, 25/15 अक्तूबर, 2016.

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

1. समस्त प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश, सरकार शिमला–2
2. समस्त मण्डलायुक्त, हिमाचल प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
4. विशेष सचिव (वित्त /बजट), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
5. विशेष सचिव (वित्त–विनिमय), हि0प्र0 सरकार, शिमला–2
6. प्रधान महालेखाकार(आडिट), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3 ।
7. वरिष्ठ उप–महालेखाकार (ए.एण्ड.ई.), हिमाचल प्रदेश,शिमला–3 ।
8. उप–निदेशक (जन–जातीय विभाग)हि0प्र0, शिमला–2
9. समस्त जिला योजना अधिकारी/साख योजना अधिकारी जिला योजना कक्ष (जिला किन्नौर और लाहौल स्पिति को छोड़कर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. समस्त जिला कोषाधिकारी, हिमाचल प्रदेश एवं राजधानी कोषाधिकारी, हि. प्र. शिमला–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू ।
11. नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हि0प्र0 शिमला–5 को राजपत्र में प्रकाशन हेतु।
12. रक्षक नस्ति ।

(अक्षय सूद)
सलाहकार (योजना)
हिमाचल प्रदेश,
शिमला–2.

8

आवश्यक

संख्याः पी.एल.जी. (एफ) (वि.में.ज.स.) 1-7/99 - शिमला
हिमाचल प्रदेश सरकार
योजना विभाग

प्रेषक

प्रधान सलाहकार एंव सचिव (योजना)
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.

प्रेषित

समस्त उपायुक्त ,
हिमाचल प्रदेश ।

दिनांक शिमला -2 3 मार्च, 2003.

विषयः विकास में जन सहयोग कार्यक्रम के संशोधित दिशा - निर्देश ।

महोदय/ महोदया,

उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के पत्र संख्या : पी.एल.जी. (एफ) (वि.में.ज.स.) 1-6/96 दिनांक 17 फरवरी,1997, पत्र संख्या : पी.एल.जी. (एफ) 3-5/84 -I दिनांक 11जनवरी,1999 तथा पत्र संख्या : पी.एल. जी. (एफ) (वि.में.ज.स.) 1-1/99 दिनांक 20 मई, 1999 के निरन्तरीकरण में कार्यक्रम 'विकास में जन सहयोग' के लिए जारी दिशा - निर्देश -1997 के अधीन जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं , उन पर समय - समय पर आए सुझावों तथा बदले हुए परिवेश में व्यवहारिकता को देखते हुए राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिए हैं :-

(क) 'विकास में जनसहयोग ' कार्यक्रम के अर्न्तगत किये जाने वाले विकास कार्यो मे लोगो की भागीदारी होती है । इस-लिये सरकार ने यह निर्णय लिया है कि समुदाय को प्रस्तावित कार्यो के तकनीकी अनुमान बनवाने तथा इन कार्यो के कार्यान्वयन करने हेतु संस्था के चयन करने में छूट दी जाती है । इस सन्दर्भ में सम्बन्धित उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमान अप्रत्याशित रूप से अधिक लागत के न हों । इसलिये निर्धारित दिशा - निर्देशों में यह संशोधन किया जाता है कि कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यो के तकनीकी अनुमान किसी भी स्तर के सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित होने चाहियें भले यह अधिकारी ग्रामीण विकास, लोक निर्माण, सिचाईं एंव जन स्वास्थ्य, शहरी विकास, विघुत बोर्ड अथवा किसी अन्य सरकारी विभाग या सरकारी उपक्रम में कार्यरत हों । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जब कार्यो के तकनीकी अनुमान एक बार किसी सक्षम अभियन्ता द्वारा अनुमोदित करवा लिये जाते हैं तो इन अनुमानों को दोबारा किसी भी सक्षम अभियन्ता द्वारा निरीक्षण / अनुमोदन करवाना आवश्यक नहीं होगा। इन निर्माण कार्यो के स्थल का चयन सम्बन्धित समुदाय करेगा और कार्यक्रम के लिये निर्धारित दिशा - निर्देश / नियमों की अनुपालना करना भी सुनिश्चित करेगा ।

(ख) तकनीकी अनुमानों में किसी भी प्रकार के Contractor Profit, Overhead Charges अथवा भागीदारी का लाभांश शामिल नही होगा । सक्षम अभियन्ता इस आशय का एक प्रमाण पत्र अनुमान में लगायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि तकनीकी अनुमानों में Bare Mininmum Cost ही शामिल हो ।

(ग) जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पतियां निर्मित होनी है उस का स्वामित्व परियोजना कार्यक्रम से पहले राज्य सरकार के नाम पर स्थानान्तरित होना आवश्यक है लेकिन कुछ मामलों में जिस भूमि पर सामुदायिक परिसम्पतियों का निर्माण / विकास किया जा रहा है / किया जाना है वह भूमि /आबादी देह या आबाद टिका होने के कारण सरकार के नाम स्थानान्तरित नहीं की जा सकती है क्योकि उसकी मलकीयत समुदाय (Community) की होती है । इसी प्रकार पट्टे पर दीर्घकाल के लिये ली गई समुदाय / निजी व्यक्ति द्वारा भूमि को भी सरकार के नाम नहीं किया जा सकता है । ऐसे मामलों के संदर्भ में यह निर्णय लिया गया है कि भूमि का स्थानान्तरण सरकार के नाम किया जाना आवश्यक नहीं होगा लेकिन कार्य स्वीकृत करने से पूर्व सम्बन्धित समुदाय से यह शपथ पत्र लिया जायेगा कि उन्हें प्रस्तावित

भूमि पर परिसम्पति निर्माण पर किसी प्रकार की आपति नहीं है और परिसम्पा हर प्रकार से सरकार के अधिकार क्षेत्र में रहेगी ।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त संशोधनों को विकास में जन सहयोग कार्यकम के अर्न्तगत तुरन्त लागू करना सुनिश्चित करें ।

3. कृप्या इस पत्र की पावती भेजें ।

भवदीय,

प्रधान सलाहकार एंव सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला :2. 3 मार्च,2003.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. समस्त प्रशासनिक सचिव , हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
2. समस्त विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ।
3. सचिव, माननीय राज्यपाल , हिमाचल प्रदेश शिमला -2.
4. आयुक्त (राजस्व) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
5. अतिरिक्त सचिव (वित्त विनियम) , हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.
6. अतिरिक्त सचिव (वित्त -बजट) , हिमाचल प्रदेश सरकार , शिमला -2.
7. महालेखाकार , हिमाचल प्रदेश शिमला -3.
8. सहायक आयुक्त , जनजातीय विभाग, हिमाचल प्रदेश , शिमला -2.
9. समस्त जिला योजना अधिकारी / साख योजना अधिकारी/ (जिला किन्नौर एंव लाहौल -स्पीति को छोड़कर) ।
10. समस्त जिला कोषाधिकारी , हिमाचल प्रदेश ।
11. गार्ड नरित ।

प्रधान सलाहकार एंव सचिव (योजना),
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला -2.